जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति बहराइच की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक 15.12.2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ0 प्र0 शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग–1 के शासना देश संख्या 95/छिहत्तर–1–2020–20 स्वजल/2010 टी0सी0–अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगणनात्मक स्वरूप को और सुदृढ बनानें तथा ग्रामीण पेयजल कायक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं0 2211/38–5–2010–20 स्वजल/2010 (टी0सी0–अ), दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुए जनपद स्तर पर गठित **"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"** समिति की बैठक दिनांक 15.12.2022 को आयोजित की गयी। अतः अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1. मुख्य विकास अधिकारी	– उपाध्यक्ष
2. जिला विकास अधिकारी	– सदस्य
3. प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य	– सदस्य
4. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी	– सदस्य
5. जिला बेशिक शिक्षा अधिकारी	– सदस्य
6. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई	– सदस्य
7. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर	– सदस्य
8. जिला कृषि अधिकारी	– सदस्य
9. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी	– सदस्य
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम बहराइच	– सदस्य सचिव
11. श्री राकेश तिवारी, मेसर्स पी0एन0सी0–एस0पी0एम0एल0 (जे0वी0)	– फर्म प्रतिनिधि
12. श्री गंगाधर, मेसर्स जी.ए.इन्फ–वी.पी.एल. (जे.वी.)	– फर्म प्रतिनिधि

बैठक में सर्व प्रथम एस.एल.एस.एस.सी. से स्वीकृत एवं त्रिपक्षी अनुबन्ध के सापेक्ष मेसर्स पी0एन0सी0 को आवंटित कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगती की समीक्षा की गयी। अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य सचिव, खण्ड कार्यालय उ0 प्र0 जल निगम(ग्रामीण), बहराइच द्वारा अवगत कराया गया है कि एस.एल.एस.एस.सी. से 473 नग परियोजना, 632 नग राजस्व ग्राम की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसके सापेक्ष 366 नग परियोजना जिसमें 505 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित है का त्रिपक्षी अनुबन्ध का गठन हो चुका है, जिनके कार्य प्रगति पर है। 100 दिन हेतु निर्धारित लक्ष्य 20 परियोजनाओ के सापेक्ष 20 परियोजनाओं में डी.जी. सेट से संचालन प्रारम्भ किया गया एवं 12556 नग गृह जल संयोजन के सापेक्ष 8356 नग गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण किया गया तथा 06 माह हेतु मेसर्स पी0एन0सी0 को 138 नग परियोजनाओं में 179 सम्मिलित राजस्व ग्रामों मे 66083 नग गृह जल संयोजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें 1630 कि.मी. वितरण बिछायी गयी है तथा 28261 नग गृह जल संयोजन का कार्य कराया गया है।

माह दिसम्बर 2022 तक 293 नग परियोजनाओं में 374 सम्मिलित राजस्व ग्रामों मे 92412 गृह जल संयोजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष 2284 कि.मी. वितरण प्रणाली बिछायाजी जा चुकी है तथा 54159 नग गृह जल संयोजन का कार्य कराया जा चुका है। फर्म मेसर्स पी.एन.सी. के परियोजना प्रबन्धक द्वारा आश्वस्त किया गया कि निर्धारित लक्ष्य को समय से पूर्ण कर लिया जायेगा।

जल जीवन मिशन अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु चयनित फर्म मेसर्स पी0एन0सी0 इन्फ्राटेक लि0 एवं एस0पी0एम0एल0(जे0वी0), पी0एन0सी0 टावर 3/22–डी0 सिविल लाइन्स, बाईपास रोड आगरा द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जनपद में पूर्व में 586 नग प्राक्कलन जिसमें 846 नग राजस्व ग्राम (541 नग नई एवं 45 नग रेट्रोफिटिंग) सम्मिलित है। वर्तमान में 08 नग पेयजल योजनाओं के डी0पी0आर0 प्रस्तुत किये गये है जिसमें 10 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित है। समस्त प्रस्तुत डी0पी0आर0 को प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 लखनऊ के शासनादेश संख्या 16/2021/948/76–1–2021–25सम/2019 दिनांक 19.03.2021, 36/2021/1599/छिहत्तर–1–2021–25सम/2019 दिनांक 08.07.2021 एवं 51/2021/1883/ छिहत्तर –1–2021–25सम/2019 दिनांक 06.08.2021 द्वारा निर्गत तकनीकी गाइडलाइन के बिन्दु संख्या 01 से 13 तक उल्लेखित बिन्दुओं के अनुसार डी0पी0आर0 की तकनीकी जॉच किया गया जिसका डिजाईन एवं ड्रांईग तथा योजना में प्रस्तावित कार्यो का परीक्षण प्रस्तावित कार्य स्थल पर जूनियर इंजीनियर से सत्यापित कराया गया प्राक्कलन में प्रस्तावित कार्य, कार्य स्थल के अनुसार पाया गया, जो तकनीकी रूप से अर्ह पाये गये है।

CE

अवगत कराना है कि उप सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या 65/2022/3396/छिहत्तर–1–2022–03सम/2022 दिनांक 03 अक्टूबर 2022 के बिन्दु संख्या 04 एवं 06 मे क्रमशः उल्लेख किया गया है कि अधिशासी अभियन्ता, उ0 प्र0 जल निगम(ग्रामीण), जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा आई.एस.ए. की आर.एफ.पी. के अनुसार फेजवार गतिविधियों का अभिलेख एवं सम्बन्धित फोटो ग्राफ/वीडियो प्राप्त कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति से सत्यापित करा कर तथा जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर ही PFMS पोर्टल पर अपलोड करानें के उपरान्त ही आई.एस.ए. के बिलों के भुगतान की कार्यवाही सदस्य सचिव द्वारा की जानी है। जनपद में कार्यरत आइ.एस.ए. द्वारा कराये गये गतिविधियों के कार्यो का कलस्टर वार विवरण निम्नानुसार है–

क्र	आई.एस.ए. का नाम	कलस्टर संख्या	कराये गये गतिविधि	लागत (लाख में)
1	भारतीय ग्रामोत्थान सेवा विकास संस्थान	ए–1	Planning & Mobilization Phase-31%	17.05
2	सर्वार्थ सेवा संस्थान	ए–2	Planning & Mobilization Phase-31%	17.05
3	हेल्पिंग यूथ फाउण्डेशन	ए–3 एवं ए–4	Planning & Mobilization Phase-31%	34.10
4	महिला एवं बाल विकास संस्थान	बी–2 एवं बी–3	Planning & Mobilization Phase-31%	33.67
5	महिला एवं बाल विकास संस्थान	बी–1	Implementation Phase (Six Months)-27%	15.96

उपरोक्त सम्बन्धित आई.एस.ए. द्वारा कराये गये कार्यों का पूर्व में सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री गया प्रसाद, स्टेट को–आर्डिनेटर (पूर्व आई.ए.एस.) द्वारा (विकास खण्ड कैसरगंज के ग्राम पंचायत परसेन्डी, चित्तौरा के ग्राम पंचायत गौरिया, विकास खण्ड हुजूरपुर के ग्राम पंचायत गौरिया एवं विकास खण्ड फखरपुर के ग्राम पंचायत साईंगांव का) से संस्था द्वारा कराये गये कार्यो का सत्यापन किया जा चुका है, उपरोक्त आई.एस.ए. के बीजकों का परीक्षण डी.पी.एम.यू. के आई.एस.ए./आई.ई.सी. को–अर्डिनेटर व जल निगम के सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता द्वारा किया गया है, जो सही पाये गये है। दस्य सचिव अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये गये, प्रस्तुत बीजको का समिति द्वारा परीक्षण किया गया जो सही पाये गय एव बीजकों का समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए सदस्य सचिव अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को बीजकों को PFMS पोर्टल के माध्यम भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही करनें हेतु निर्देशित किया गया है।

जल जीवन मिशन फेज–2 के अन्तर्गत जनपद बहराइच में नामित एजेन्सी पी.एन.सी. द्वारा अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन के सापेक्ष फर्म के अर्ह पाये गये डी.पी.आर. का विवरण निम्नवत् है–

Sl.No.	Name of Block	Name of Gram Panchyat	Total Cost (in Lacs)	Remarks
1	2	3	4	5
1	HUZOORPUR	RANIPUR	172.10	New
2	HUZOORPUR	KARIDEEHA	184.54	New
3	HUZOORPUR	BHABBAPUR	196.74	New
4	JARWAL	CHAHLAR & DIHWA KHURD	184.12	New
5	JARWAL	GANDARA	494.84	New
6	PHAKARPUR	MALUKPUR	233.84	New
7	PHAKARPUR	JAITAPUR & BEHATA CHURAMAN	370.10	New
8	CHITTAURA	NAGRAUR	115.34	Retrofitting
		योग–	1954.62	

डी0पी0आर0 की कुल लागत में वर्क कास्ट, 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी, 12.50 प्रतिशत विभागीय सेन्टेज तथा 18 प्रतिशत जी0 एस0 टी0 को सम्मिलित किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा दी गई गाइडलाइन के

अनुसार 12.50 प्रतिशत सेन्टेज के व्यय का प्राविधान राज्यांश में किया गया है तथा इसके अतिरिक्त 10 वर्ष हेतु Operation and Maintenance व्यय का भी प्राविधान राज्यांश में ही किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार योजना हेतु Per Capita Cost के आंकलन हेतु वर्क कास्ट को लिया गया है।

बैठक में प्रस्तुत 08 नग परियोजनाओं का अधिशासी अभियन्ता (सिविल)/अधिशासी अभियन्ता (वि0 यॉ0) तथा अधीक्षण अभियन्ता मण्डल कार्यालय द्वारा परीक्षण कर प्रस्तुत किये गये। जिला पेयजल स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांक 15.12.2022 में पाया गया कि 08 नग परियोजनाओं के डी0पी0आर0 जिनके लागत 05 करोड़ से कम है। प्राक्कलनों की लागत 05 करोड़ से कम होनें के कारण समिति द्वारा शासन की गाईड लाइन एवं दिशानिर्देशों के अनुसार सभी 08 प्राक्कलनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतिप्रदान की गयी एवं प्राक्कलनों को अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन लखनऊ स्वीकृति/अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया है। जिसका विस्तृत विवरण शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र–45 कॉलम में अंकित है, जो **संलग्नक–1** के अनुसार है–

Sl. No.	Name of Block	Name of Gram Panchayat	No of Revenu Village	Solar/ Electricty	No of FHTC Praposed in PWS	Work Cost (in Lacs)	Centage (in Lacs)	Total Cost (in Lacs)	Per Capita cost as per Design Year 2052 (in Rs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	JARWAL	CHAHLAR & DIHWA KHURD	2	Electricity	286	166.48	17.64	184.12	8157
2	HUZOORPUR	RANIPUR	1	Electricity	380	155.62	16.48	172.10	6144
3	HUZOORPUR	KARIDEEHA	1	Electricity	292	166.86	17.68	184.54	8306
4	HUZOORPUR	BHABBAPUR	1	Electricity	360	177.90	18.84	196.74	7217
5	PHAKARPUR	MALUKPUR	1	Electricity	431	211.43	22.40	233.84	5725
6	PHAKARPUR	JAITAPUR & BEHATA CHURAMAN	2	Electricity	1236	334.65	35.45	370.10	3263
7	JARWAL	GANDARA	1	Solar	1520	450.15	47.69	497.84	4324
8	CHITTAURA	NAGRAUR	1	Electricity	276	103.75	11.58	115.34	1687
		Total–	10		**4781**	**1766.84**	**187.76**	**1954.62**	-

लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान तक फर्म द्वारा कुल 594 नग प्राक्कलन तैयार किये जा चुके जिसमें कुल 856 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित है, अवशेष ग्रामों के डी0पी0आर0 शीघ्र तैयार कर दिनांक 23.12.2022 तक समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग लखनऊ के पत्रांक संख्या 3202/डब्लू–27(Devi Patan)/2022–23 दिनांक 04.11.2022 के द्वारा जल जीवन मिशन फेज–5 मे फर्म मेसर्स जी.ए.इन्फ्रा–वी.पी.एल.(जे.वी.) प्लाट नम्बर 61, केशव नगर हवा सड़क जयपुर राजस्थान–302006 को जनपद बहराइच के अवशेष 175 ग्रामों को संतृप्त करनें हेतु नामित किया गया है। प्रबन्ध निदेशक उ0 प्र0 जल निगम(ग्रामीण) द्वारा वचुवल बैठक में यह निर्देश दिये गये हैं कि जनपद में यदि और कोई गांव फर्म को आवंटित होनें से अवशेष रह गये हैं तो फेज–5 में नामित फर्म को 175 ग्रामों के अतिरिक्त यदि और कोई ग्राम अवशेष रह गये हो तो उन ग्रामों को सम्मिलित करते हुए फेज–5 में नामित फर्म को आवंटित कर दिये जाये। जनपद बहराइच में एल.जी.डी. के अनुसार कुल 1365 है जिसमें से 18 ग्राम गैरआबाद एवं 355 ग्राम पूर्व निर्मित योजनाओं में सम्मिलित है जिसमें से 79 ग्रामों के रेट्रोफिटिंग व पुनर्गठन करनें हेतु तथा 785 नये ग्राम इस प्रकार जे.जे.एम. फेज–2 हेतु नामित फर्म पी.एन.सी.इन्फ्रा टेक. को कुल 864 ग्राम को आवंटित किये जा चुके है। एल.जी.डी. के अनुसार शेष 207 ग्रामों को संलग्न सूची के अनुसार फेज–5 में नामित फर्म मेसर्स जी.ए.इन्फ्रा–वी.पी.एल.(जे.वी.) को आवंटन करनें हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्णय लिया गया तथा समिति द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में यदि कोई शासन से दिशा निर्देश प्राप्त होते है तो प्राप्त होनें वाले दिशानिर्देशों के अनुपालन में आवंटन सूची को संशोधित करा लिया जाये। बैठक में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निम्न निर्णय लिए गये–

1. 366 नग परियोजनाओं का त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन हो जानें के पश्चात् फर्म द्वारा वर्तमान समय तक मात्र 314 नग नलकूप के कार्य पूर्ण किये गये। 100 दिन एवं 6 माह के निर्धारित किये गये लक्ष्यों के सापेक्ष फर्म द्वारा प्रथम 100 दिन के लक्ष्य 12556 नग गृह जल संयोजन एवं 20 नग परियोजनाओं को पूर्ण करनें के लक्ष्यों के सापेक्ष 20 नग परियोजनाओं को डी.जी.सेट के माध्यम से ट्रायल एण्ड रन किया जा रहा है तथा 8356 नग गृह जल संयोजन पूर्ण किया गया जो अपर्याप्त है तथा 06 माह हेतु मेसर्स पी0एन0सी0 को 138 नग परियोजनाओं में 179 राजस्व ग्राम एवं 66083 नग गृह जल संयोजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें 1630 कि.मी. वितरण बिछायी गयी है तथा 28261 नग गृह जल संयोजन का कार्य कराया गया है। दिसम्बर 2022 तक 293 नग परियोजनाओं जिसमें 374 राजस्व ग्राम, 92412 गृह जल संयोजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष 2284 कि.मी. वितरण प्रणाली बिछायी जा चुकी है तथा 54159 नग गृह जल संयोजन का कार्य कराया जा चुका है जो लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति काफी धीमी है जिससे परिलक्षित होता है कि फर्म के पास पर्याप्त मात्रा में टी.एण्ड.पी./स्टाफ/श्रमिक की कमी है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्लम्बर/साईट इंजीनियर एवं श्रमिक की संख्या बढ़ाते हुए समस्त स्वीकृत परियोजनाओं पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें तथा निर्धारित किये गये लक्ष्य को दिसम्बर 2022 तक प्राप्त किया जाये एवं इसकी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट योजनावार साप्ताहिक सदस्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जाए जिसके सम्बन्ध में फर्म को पूर्व में निर्देशित किया गया था परन्तु फर्म द्वारा रूचि नहीं ली जा रही है।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/मेसर्स पी0एन0सी0–एस0पी0एम0एल0 जे.वी.)

3. समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि कार्य की गुण्वत्ता सुनिश्चित करने हेतु योजनावार पत्रावली तैयार करें जिसमें जूनियर इंजीनियर/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/टी.पी.आई/डी.पी.एम.यू. द्वारा किये गये निरीक्षण की आख्या जीओ टैग फोटो के साथ संरक्षित करना सुनिश्चित करें, जिससे यह पता चल सके की उक्त योजना पर इंजीनियर्स द्वारा कब कब निरीक्षण किया गया और उनके द्वारा पाई गयी कमियों का निराकरण हुआ है कि नहीं।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/मेसर्स पी0एन0सी0–एस0पी0एम0एल0 जे.वी./टी.पी.आइ./डी.पी.एम.यू.)

4. जूनियिर इंजीनियर/टी.पी.आई./डी.पी.एम.यू. को निर्देशित किया गया कि पूर्व बैठकों में दिये गये निर्देशो का पालन नहीं किया जा रहा है जो औचित्य पूर्ण नहीं है, सभी जूनियर इंजीनियर योजनावार रजिस्टर एवं फोल्डर तैयार करे तथा जियो टैग फोटो ग्राफ को संकलित करते रहें और प्रत्येक बैठक में योजनावार रजिस्टर एवं जियो टैग फोटो को भी प्रस्तुत करें। **(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/मेसर्स पी0एन0सी0/टी.पी.आइ./डी.पी.एम.यू.)**
5. हर घर जल योजना के तहत किये जा रहे गृह जल संयोजन के कार्यो के प्रगति की समीक्षा प्रति दिन सदस्य सचिव द्वारा किया जाये तथा निर्धारित किये गये लक्ष्य को समयान्तर्गत पूर्ण करया जाये, जिस कार्य हेतु जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई में कार्यरत समस्त कर्मचारियों से भी जन–जागरूकता का कार्य कराया जाये तथा सदस्य सचिव द्वारा डी.पी.एम.यू. के कार्यो की समीक्षा प्रति दिन की जाये।
(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/मेसर्स पी0एन0सी0–एस0पी0एम0एल0 जे.वी/डी.पी.एम.यू.)
6. जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति मेसर्स पी.एन.सी. इन्फाटेक सर्विसेस द्वारा तैयार की गई प्राक्कलनों की तकनीकी परीक्षण जल निगम की तकनीकी समिति द्वारा करनें के उपरान्त प्रेषित की जा रही है। उक्त प्राक्कलन में यदि भविष्य में अन्य संस्था/जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा प्राक्कलन में प्रस्तावित कार्यो के विपरीत विचलन अथवा दरों में भिन्नता परिलक्षित होती है तो इसकी सम्पूर्ण दायित्व तकनीकी समिति एवं मेसर्स पी.एन.सी. इन्फाटेक सर्विसेस की होगी। **(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/मेसर्स पी0एन0सी0–एस0पी0एम0एल0 जे.वी.)**
7. प्रस्तुत 08 डी.पी.आर. में 01 नग सोलर आधारित एवं 07 नग विद्युत आधारित है, विद्युत आधारित परियोजना अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्र संख्या 344/डब्लू–17/2020–21 दिनांक 04.06.2021 के क्रम में 16 घंटे पम्पिंग हॉवर को लेते हुए वर्ष 2037 हेतु डिजाईन किया है। समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि परियोजना के पूर्ण होनें के उपरान्त टेल इण्ड पर मिनिमिम टर्मिनल हेड 07 मीटर प्राप्त किया जायेगा। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म मेसर्स पी.एन.सी. इन्फाटेक–एस.पी.एम.एल.(जे.वी.) की होगी। इनका अन्तिम भुगतान फर्म द्वारा प्रमाण पत्र एवं अधिशासी अभियन्ता जल निगम, अधिशासी अभियन्ता पी.डब्लू.डी. एवं अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग से सत्यापन करानें के उपरान्त किया जाये।
(कार्यवाही अधि0अभि0, जल निगम/पी0डब्लू0डी0/लघु सिंचाई/मेसर्स पी0एन0सी0)
8. जिला पेयजल स्वच्छता मिशन के पत्रांक संख्या 1760/जे.जे.एम./2022/कार्य–17/377 दिनांक 03.12.2022 के द्वारा मैनपावर बढ़ाने हेतु फर्म को नोटिस निर्गत किया गया था परन्तु फर्म द्वारा उक्त के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिससे कार्य समय से पूर्ण नहीं कराये जा पा रहे है, मैनपार बढ़ाये जानें की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करायें। उपरोक्त पत्र के बिन्दु संख्या 05 में निर्देशित किया गया था कि जिन योजनओं को पूर्ण करनें के कवर एग्रीमेन्ट की तिथि समाप्त हो चुकी है कार्यों को पूर्ण करनें हेतु अतिरिक्त समय वृद्धि की आवश्यकता को फर्म से प्राप्त कर समय वृद्धि हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित करे, परन्तु फर्म द्वारा उक्त के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। फर्म के आर.एफ.पी. के पेनाल्टी क्लाज के बिन्दु संख्या 9.1(b) में निहित शर्त "In case delay on completion of the project due to the delay in performance of activites on Firm/Contractor side, 0.10% of the Construction fee of unfinished works of the particular project for delay of each day. Intermideat milestones its LD shall be finished on mutual decisions between Contractor and Employer. LD leveld on intermediate milestones shall be reimbeurshed on completion of project or subsequent milestone on stipulated time" के अधीन आर्थिक दण्ड लागये जानें की कार्यवाही पूर्ण करायी जाए। **(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/मेसर्स पी0एन0सी0–एस0पी0एम0एल0जे.वी.)**
9. जनपद की 473 नग परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति से स्वीकृत की जा चुक हैं उसके सापेक्ष वर्तमान तक मात्र 366 नग परियोजनाओं का त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन ही किया गया है त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन में फर्म द्वारा विलम्ब क्यो किया जा रहा है इसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत करतें हुए अवशेष ग्रामों के त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराये जानें हेतु पूर्व बैठक में निर्देशित किया गया था परन्तु फर्म द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिन परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति राज्य स्तर से प्राप्त हो जा रही है उनके त्रिपक्षीय अनुबन्ध का गठन वित्तीय स्वीकृति के पश्चात एक सप्ताह तक त्रिपक्षीय अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण करा लिया जाये। **(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/मेसर्स पी0एन0सी0)**
10. जनपद अन्तर्गत संस्थाओं के माध्यम से विकास खण्ड स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किये गये 06 ट्रेड–राजमिस्त्री, फिटर, पलम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पम्प आपरेटर, मोटर मैकेनिक का विवरण भारत सरकार के पोर्टल पर फीडिंग कराया गया है या नहीं इसका सत्यापन कर लिया जाए तथा प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिकों की सूची विकास खण्डवार अलग–अलग प्रस्तुत किया जाए जिससे प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिकों की सूची का पोर्टल पर फीड कराये गये कार्मिकों का सत्यापन कराया जा सके। **(कार्यवाही डी.पी.एम.यू./मेसर्स पी0एन0सी0–एस0पी0एम0एल0 जे.वी.)**
11. जनपद के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों मे आते हैं उन ग्रामों के प्राक्कलन विरचन/कार्य प्रारम्भ करते समय जल भराव का संज्ञान लेते हुए जल कल परिसर की नींव एवं शिरोपरि जलाशय को आवश्यकतानुसार ऊपर कर लिया जाये। **(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/मेसर्स पी0एन0सी0–एस0पी0एम0एल0 जे.वी./टी.पी.आई.)**
12. जनपद अन्तर्गत संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण (06 ट्रेड–राजमिस्त्री, फिटर, पलम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पम्प आपरेटर, मोटर मैकेनिक) प्रदान किये गये कार्मिकों को निर्माण करा रही फर्म द्वारा किन–किन ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया गया है इसका विवरण भी एक सप्ताह में समिति के सम्मुख प्रस्तुत करें। **(कार्यवाही अधि. अभि.,/डी.पी.एम.यू./पी.एन.सी.)**
13. जनपद के जिन ग्रामों में वितरण प्रणाली बिछाये जानें का कार्य कराया जा रहा है, उन ग्रामों के मार्ग (खड़न्जा, इन्टरलाकिंग, बिटुमिनस रोड) को क्षति ग्रस्त किया जा रहा है उनके पुर्न निर्माण कार्य कराये जानें के उपरान्त सम्बन्धित विभाग से कार्य की गुणवत्ता का सत्यापन करानें के उपरान्त ही भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जाए।
(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/मेसर्स पी0एन0सी0–एस0पी0एम0एल0 जे.वी./टी.पी.आई.)

14. जनपद में पूर्व की पूर्ण परियोजनाओं/क्रियान्वित परियोजना में शत् प्रतिशत गृह जल संयोजन का कार्य कराया जाये और हर घर जल का लक्ष्य शत् प्रतिशत प्राप्त किया जाये तथा शत् प्रतिशत हर घर जल हो चुके ग्राम पंचायतों का प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जाये जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई (डी.पी.एम.यू.) बहराइच की होगी, जिसके सम्बन्ध में जिला विकास अधिकारी द्वारा उक्त के सम्बन्ध में समीक्षा की जाये।

(कार्यवाही जिला विकास अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/डी.सी.,डी.पी.एम.यू.)

15. जनपद के अवशेष ग्रामों को संतृप्त करनें हेतु फेज–5 में चयनित फर्म को निर्देशित किया गया कि सर्वे का कार्य पूर्ण कराते हुए प्राक्कलन शीघ्र तैयार कर डी.डब्लू.एस.एम. के समक्ष प्रस्तुत करें जिससे प्राक्कलनो की जॉच कराते हुए तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा सके।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ मेसर्स जी.ए.इन्फ्रा–वी.पी.एल. जे.वी.)

क्र.स.	सदस्य	हस्ताक्षर
1	मुख्य विकास अधिकारी	
2	जिला विकास अधिकारी	
3	प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य (वन संरक्षण अधिनियम के अधीन संरक्षित वन/आरक्षित वन इत्यादि का किसी प्रकार उपयोग बिना वन अनुमति/NOC लिए न किया जाए)	
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	
5	जिला बेशिक शिक्षा अधिकारी	
6	अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई	
7	जिला कृषि अधिकारी	
8	जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी	

15/12/2022

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)
बहराइच।

15/12/2022

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बहराइच।

पृ0सं0 1790/जल जीवन मिशन/2022/कार्य-17/387 दिनांक 15/12/2022
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभागा,, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0 प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता(गो0क्षे0), उ0 प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
6. मुख्य विकास अधिकारी, बहराइच।
7. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0 प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गोण्डा।
8. जिला विकास अधिकारी, बहराइच।
9. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बहराइच।
10. टी.पी.आई./डी.पी.एम.यू., बहराइच।
11. मेसर्स पी0एन0सी0 इन्फ्राटेक लि0 एवं एस0 पी0 एम0 एल0 जे0वी0, पी0एन0सी0 टावर 3/22–डी0 सिविल लाइन्स, बाईपास रोड आगरा।
12. फर्म मेसर्स जी.ए.इन्फ्रा–वी.पी.एल.(जे.वी.) प्लाट नम्बर 61, केशव नगर हवा सड़क जयपुर राजस्थान–302006।

15/12/22

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)
बहराइच।